वाणिज्य–जोधपुर डिस्कॉम/ 675

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांकः जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(मु)/अ.अ.(आर.ए.–सी.)/फा./प्रे. 03 दि. 06.04.15

आदेश

विषयः ओलावृष्टि से प्रभावित कृषकों के लिए 4 माह के बिजली के बिलों के भुगतान की राशि माफ करने बाबत्।

राज्य सरकार ने दिनांक 28.02.2015 से 02.03.2015 तक व दिनांक 12.03.2015 से 15.03.2015 को हुई ओलावृष्टि से रबी फसलों को नुकसान होने पर प्रभावित किसानों को राहत देने हेतु दिनांक 18.03.2015 को निम्न सहायता पैकेज घोषित किया है। इस संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैः–

(1) लघु एवं सीमान्त कृषकों को, जिनकी बोये गये क्षेत्र की फसल 50 प्रतिशत या 50 प्रतिशत से अधिक खराब हुई है, उनके चार बिलिंग माह, दिसम्बर 2014, जनवरी 2015, फरवरी 2015 एवं मार्च 2015 के विद्युत बिलों की राशि माफ की जायेगी।

(2) जिन काश्तकारों ने उक्त माहों के विद्युत बिलों की राशि जमा करवा दी है, इस राशि को आगामी बिलों में समायोजित किया जायेगा।

(3) यह राहत पैकेज संबंधित तहसीलदार, ग्राम पटवारी तथा ग्राम सेवक की तीन सदस्यीय समिति द्वारा निर्धारित उन कृषकों को भी दिया जा सकता है जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है किन्तु उन्होंने भूमि पर ठेकेदारी/बांटेदारी से फसल की है।

इस विषय में संबंधित अधिशाषी अभियंता (पवस), जिला कलेक्टर से संपर्क कर ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों के लघु एवं सीमान्त काश्तकारों जिनकी फसल 50 प्रतिशत या 50 प्रतिशत से अधिक खराब हुई है, की ग्राम एवं उपभोक्तावार सूचना प्राप्त कर संबंधित सहायक अभियंताओं को उपलब्ध कराऐंगे। इस सूची के आधार पर ही संबंधित सहायक अभियंता द्वारा 4 माह के बिलों की राशि को माफ करने की कार्यवाही की जाए।

निर्णयानुसार छूट देने के पश्चात् दी गई छूट की राशि का ग्राम एवं उपभोक्तावार विवरण मुख्य लेखाधिकारी (B&R) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर को प्रेषित की जाये। मुख्य लेखाधिकारी (B&R) इस संबंध में उपभोक्ताओं को प्रदत्त छूट की राशि के पुनर्भरण हेतु ऊर्जा विभाग, राज्य सरकार को आवश्यक दावा (Claim) प्रेषित करेंगे, ताकि राज्य सरकार से उक्त राशि का पुनर्भरण प्राप्त किया जा सके।

आज्ञा से

(अशोक माथुर)
अधीक्षण अभियंता (आर.ए. एंड सी)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

नोट : यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइट www.jdvvnl.com पर भी उपलब्ध है।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

- प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, जोधपुर/पाली/बाड़मेर/जालोर/चूरू/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/बीकानेर/सिरोही/जैसलमेर।
- निदेशक (वित्त), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- निदेशक (तकनीकी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- संभागीय मुख्य अभियन्ता (जोधपुर संभाग बाड़मेर संभाग/बीकानेर संभाग), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बाड़मेर/बीकानेर।
- मुख्य लेखाधिकारी, (   ), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/जयपुर।
- प्रावे. सहा. अध्यक्ष, डिस्कॉम्स, जयपुर को अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ।
- प्रावे. सहा. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर/जयपुर/अजमेर डिस्कॉम, जोधपुर/जयपुर/अजमेर को प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
- कम्पनी सचिव, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/पवस/टर्न–की/पीपीएम/एम.एण्डपी/बी.एफ.एल./एमएम एवं सी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर/चूरू/बीकानेर/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/जैसलमेर/सिरोही।
- अधीक्षण अभियंता (आईटी–ट्रे), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर कृपया यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइड पर प्रदर्शित करें।
- निजी सचिव, माननीय ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय ऊर्जा मंत्री के अवलोकनार्थ।
- सहायक अधिकारी, Ombudsman, विद्युत विनियामक भवन, सहकार मार्ग, स्टेट मोटर गैराज के पास, जयपुर, को Ombudsman के अवलोकनार्थ।
- अति. पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर (आपके अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराने हेतु) ।
- वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (नगर/जिला/पवस/एम.एम.अंकेक्षण/वाणिज्य/सीपीसी एंव रोकड़) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर/चूरू/बीकानेर/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़।
- प्रावेधिक सहायक मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधिशाषी अभियन्ता (   ), जोधपुर डिस्कॉम,..............................(आपके अधीनस्थ कार्यरत समस्त सहायक अभियंताओं, कनिष्ठ अभियंताओं, लेखाकार को उपलब्ध कराने हेतु।
- जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।

अधीक्षण अभियंता (आर.ए. एंड सी)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर